प्रेस नोट
दिनांक- 14.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-कार्यवाही-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2026 धारा 238, 240 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उर्फ ननकन पाठक पुत्र तुलाराम पाठक को ग्राम रामापुर भगाही उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी पूनम शर्मा पत्नी घिराऊ शर्मा ग्राम रामापुर भगाही डिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 12.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे उनका पुत्र प्रिंस शर्मा को गांव के ही दोस्त घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। देर रात तक वापस न आने पर परिजनों ने तलाश की। दुसरे दिन सुबह उनके पुत्र का शव मिला । तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 14.09.2026 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उर्फ ननकन पाठक पुत्र तुलाराम पाठक को उसके घर रामापुर भगाही से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ ननकन पाठक पुत्र तुलाराम पाठक निवासी ग्राम रामापुर भगाही थाना नवाबगंज, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 286/2026 धारा 105, 238, 240 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना नवाबगंज गोण्डा।
02. हे0का0 अंगद यादव
03. हे0का संजय निषाद

मीडिया सेल, गोण्डा।